न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. धनराज दत्तक पुत्र भंवरलाल
2. दाखा
3. कौशल्या
4. रूकमणी
5. राधा पुत्रियां भंवरलाल जातिगण कोली निवासीगण हाल मऊ तहसील मांगरोल

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री बृजमोहन गोयल, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 20.04.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मोरडी के खाते में हाल खसरा नंबर 33 रकबा 0.70 है., 34 रकबा 0.51 है., 41 रकबा 1.08 है. किता 3 रकबा 2.29 है. भूमि भूलीबाई बेवा भंवरलाल, दाखाबाई, कौशल्याबाई, राधाबाई पुत्रियां भंवरलाल का हिस्सा 1/6 दर्ज था जिसमें मृतक भंवरलाल पुत्र मांग्या का नाम खाते में दर्ज नहीं होते हुए भी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 168 दर्ज कर धनराज दत्तक पुत्र भंवरलाल के नाम तस्दीक किया गया वह प्रभावहीन एवं अवैध है। अतः उक्त नामान्तरकरण संख्या 168 वाके ग्राम मोरडी निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 2 ता 5 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये। तथा अप्रार्थी कम 1 दो पेशियों पर स्वंय उपस्थित होने के पश्चात निरंतर अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण के अभिभाषक को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थीगण बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:43:45 IST
Reason: SelfAttested

3— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे इस पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार की सुनकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

4— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम मोरड़ी का नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 27.04.2011 मृतक भंवरलाल पुत्र मांग्या का खाते में नाम नहीं होते हुए भी विरासत का नामान्तरकण दर्ज कर मृतक के वारिसान के नाम खाता दर्ज कर दिया। अतः उक्त नामान्तरकरण प्रभावहीन एवं अवैध होने से निरस्त फरमावें।

5— हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि ग्राम मोरड़ी का नामान्तरकरण संख्या 62 मृतक मांग्या पुत्र लटूर एवं रामनारायण पुत्र ग्यारसा के फोत होने पर दर्ज किया गया जिसमें भंवरलाल पुत्र मांग्या के भी फोत होने पर उसकी बेवा भूली बाई पुत्रियों दाखांबाई, कौशल्याबाई, राधाबाई, रूकमणीबाई के नाम मुताबिक नामान्तरकरण पर अंकित सजरे अनुसार नामान्तरकरण दिनांक 28.12.2001 को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 168 से भंवरलाल के स्थान पर उसके पुत्र धनराज अंकित करते हुए उसके नाम भी नामान्तरकरण स्वीकार किया गया जबकि भंवरलाल के फोत होने पर नामान्तरकरण संख्या 62 पूर्व में दर्ज किया जा चुका था तथा इसकी अपील सक्षम न्यायालय में की जाकर ही उसमें ही संशोधन किया जा सकता था। नामान्तरकरण संख्या 62 दर्ज करने के पश्चात भंवरलाल खातेदार नहीं था अपितु विवादित आराजीयात मांग्या पुत्र लटूर हिस्सा 1/2, बिरधीलाल, रामनारायण, सूरजमल पुत्रगण ग्यारसा व रामप्रताप पुत्र मन्नालाल हिस्सा 1/2 के खाते में दर्ज थी। इस प्रकार पुनः भंवरलाल के वारिसान के नाम दर्ज करने में राजस्व कर्मियों द्वारा त्रुटि की जाना पाया जाता है।

6— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, ग्राम मोरड़ी का नामान्तरकरण संख्या 168 निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त क[illegible] राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम[illegible] प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:43:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 20.04.20[illegible] को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)